न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या – 22/2016
GCMS NO.–2016/00015

भगवती वगै0 बनाम रामपति वगैरह

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 सीपीसी

निर्णय

दिनांक 24.06.2025

प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश कर कथन किया गया कि वादियागण ने उक्त उनवानी दावा में अपने आपको स्व. बजरंग लाल की पुत्रियां बता कर वादग्रस्त भूमि ख0न0 119 रकबा 2.80 हैक्टेयर, ख0न0 730/88 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.86 हैक्टेयर वाके ग्राम सेही कलां में खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु पेश किया है तथा प्रतिवादिया संख्या 4 ने काउन्टर क्लेम पेश किया है। वादग्रस्त भूमियों पर केवल प्रतिवादियागण संख्या 1 लगायत 3 विक्रय से पूर्व करीब 25 वर्षो से काबिज काश्तकार चले आ रहे थे जिन्होनें अपने समस्त हक अधिकार खातेदारी दिनांक 16.10.2015 को प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 7 व अन्य क्रेतागण से पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त कर पांच रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से विक्रय कर दिये और कब्जा प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 7 सहित समस्त क्रेतागण का उसी रोज करवा दिया था तब से प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 7 अन्य क्रेतागण के साथ वादग्रस्त भूमियों पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा वादियागण व प्रतिवादिया संख्या 4 का वादग्रस्त भूमियों पर कोई हक अधिकार एवं सम्बन्ध किसी प्रकार से नही है। वादियागण ने प्रतिवादी संख्या 7 व अन्य क्रेतागण के हक में निष्पादित उक्त पांचों विक्रय पत्रों को निरस्त करवाने हेतु एक दावा उनवानी भगवती देवी बनाम रामपती वगैरह मु0न0 45/2016 (07/2016) न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश चिड़ावा जिला झुन्झुनूं के यहां प्रस्तुत किया था जिसे उक्त न्यायालय ने खारिज कर दिया है और प्रतिवादियागण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा निष्पादित किये गये विक्रय पत्रों को निरस्त नही किया। उक्त दावा में उक्त न्यायालय द्वारा बाद विचारण एवं साक्ष्य सबूत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विवाद्यक को विनिश्चित किया जा चुका है :–

> "आया वादियागण पर मिताक्षरा विधि लागु होती है और वादियागण सन 1978 में सहदायिकी में नही होने से विवादित भूमि में कोई हक अधिकार उत्पन्न नही होते है ?"

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश चिड़ावा ने उपरोक्त विवाद्यक को निस्तारित करते हुए विनिश्चित किया है कि वादियागण का भाना और बजरंगलाल का उतराधिकारी होने का कोई प्रमाण अभिलेख पर नही है तथा वादिया के मौखिक कथनो को देखा जावे तो उसने जिरह में अपने उतराधिकारीगण की मृत्यु बाबत एवं उसका भाना की पौत्री व बजरंगलाल की पुत्री होने के सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज पेश नही करने के जो बयान किये गये है उनसे यही संभावना प्रबल होती है कि उसने हस्तगत प्रकरण के प्रतिवादियागण संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वजो से किसी प्रकारका कोई रिश्ता नही था क्योंकि यदि ऐसा होता तो उसे कम से कम इस बात की जानकारी अवश्य होती कि उसके दादा, पिता, माता, और भाईयों की मृत्यु कब, कैसे और कहां हुई। इस प्रकार वादियागण को उक्त न्यायालय ने बजरंगलाल की पुत्रियां होना नही माना है और वादियागण व प्रतिवादिया संख्या 4 को भाना

४१

व बजरंगलाल की सहदायिकी में होना भी नही माना है तथा उक्त विवाद्यक को प्रतिवादीगण के हक में वादियागण के विरूद्ध तय किया है। सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा यह विनिश्चित किया जा चुका है कि वादियागण व प्रतिवादिया संख्या 4 बजरंगलाल की पुत्रियां नही है तथा वादियागण व प्रतिवादिया संख्या 4 ने वर्तमान दावा व काउन्टर क्लेम में भी ऐसा कोई सबूत पेश नही किया है कि वे स्व. बजरंगलाल की पुत्रियां है जबकि वादियागण व प्रतिवादिया संख्या 4 ने वर्तमान दावा व काउन्टर क्लेम अपने आपको बजरंगलाल की पुत्रियां होने व उन्हे वादग्रस्त भूमि उतराधिकार में प्राप्त होने का कथन करते हुए वादग्रस्त भूमि में हक हिस्से की घोषणा करवाने बाबत पेश किया है जो कि एक सक्षम दिवानी न्यायालय द्वारा वादियागण व प्रतिवादिया संख्या 4 को बजरंगलाल की पुत्रियां नही होना तय किये जाने के बाद वादियागण व प्रतिवादिया संख्या 4 को वर्तमान दावा व काउन्टर क्लेम के लिए कोई कॉज ऑफ एक्शन पैदा नही होने से व उपरोक्त कारण से वर्तमान दावा व काउन्टर क्लेम विधि द्वारा वर्जित होने से इसी स्टेज पर आदेश 7 नियम 11 (ए) (डी) सी.पी.सी. के तहत खारिज होने योग्य है। वादियागण व प्रतिवादिया संख्या 4 स्व. बजरंगलाल की पुत्रियां नहीं होने के बावजूद वादियागणद्वारा वर्तमान दावा व प्रतिवादिया संख्या 4 द्वारा काउन्टर क्लेम भूमाफियाओ से मिलकर प्रतिवादियागण संख्या 1 लगायत 3 व 7 को तंग परेशान करने व ब्लेकमैल करके रूपये हड़पने के लिए पेश किया गया है। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश चिड़ावा ने प्रतिवादी संख्या 7 व अन्य क्रेतागण के हक में निष्पादित हुए विक्रयपत्रों को सही एवं वैध माने है जिसके प्रकाश में वर्तमान दावा व काउन्टर क्लेम धारा 151 सी.पी.सी के तहत प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि वादियागण के वर्तमान दावा व प्रतिवादिया संख्या 4 के काउन्टर क्लेम को आदेश 7 नियम 11 (ए) (डी) व धारा 151 सी.पी.सी. के तहत खारिज करने की कृपा करे ।

वादियागण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के कथनों का खण्डन करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि क्रेतागण का भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश चिड़ावा के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र संख्या 45/2016(7/2016) विक्रय पत्र निरस्त करवाने बाबत खारिज होना स्वीकार है लेकिन सिविल वाद खारिज होने से वादियागण के कृषि भूमि में से हक व अधिकार समाप्त नहीं होते है। कृषि भूमि के संबंध में वादियागण के हक अधिकारों का विनिश्चय राजस्व अदालत अर्थात अदालत मातहत के द्वारा तय किये जाने है। आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र में आदेश 7 नियम 11 (क) व (घ) का उल्लेख किया है लेकिन अपने प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि वादियागण का वाद कौनसी विधि के द्वारा वर्जित है। प्रतिवादियागण 1 लगायत 3 की ओर से दिनांक 05.03.2013 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जिसका जबाब प्रार्थना पत्र वादियागण द्वारा दिनांक 4.06.2013 को पेश किया था जिसके पश्चात दिनांक 5.12.2014 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर बहस सुनी जाकर दिनांक 09.12.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. को विस्तृत आदेश के द्वारा खारिज फरमा दिया। इस प्रकार जब अदालत हाजा द्वारा एक ही बिन्दु पर पूर्व मे आदेश पारित कर दिया गया है ऐसी सूरत मे प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (क) व (घ) सी.पी.सी. पूर्व न्याय के सिद्वान्त से बाधित है।

चूंकि विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब प्रकरणमे किसी भी पक्षकार द्वारा यदि दावे मे किसी बिन्दु पर आक्षेप पेश किया जाता है और अदालत हाजा द्वारा पक्षकारो को सुनकर उस आक्षेपित बिन्दु को जब एक बार निर्धारित किया जा चुका है तो ऐसी सूरत

47

अप्रार्थीगण (वादियागण) की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये वकील प्रार्थी की बहस के कथनों का खण्डन करते हुये कथन किया कि कृषि भूमि के संबंध में वादियागण के हक अधिकारों का विनिश्चय राजस्व अदालत अर्थात अदालत मातहत के द्वारा तय किये जाने है सिविल न्यायालय द्वारा नहीं। सिविल न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश चिड़ावा द्वारा जमीन जैर बहस के बाबत करवाये गये विक्रय पत्रों को निरस्त करने का वाद खारिज किया गया है जिसका कृषि भूमि में अपने अधिकारों की घोषणा के वाद पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने का अनन्यतम अधिकार केवल मात्र राजस्व न्यायालय को है। वादियागण द्वारा प्रस्तुत मौजुदा वाद जमीन जैर बहस में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये जाने का है इसलिये सिविल न्यायालय के निर्णय का मौजुदा वाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मौजुदा वाद पत्र में पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से दिनांक 07.12.2014 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश किया गया था जो माननीय न्यायालय द्वारा खारीज किया जा चुका है। इस प्रकार पूर्व में मौजुदा वाद में आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र निर्णित होने से आदेश 7 नियम 11 का मौजुदा प्रार्थना पत्र Resjudicataकी श्रेणी में आता है। चूंकि खातेदारी अधिकार राजस्व न्यायालय द्वारा तय किये जाने है इसलिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(क) व (घ) व सपठित धारा 151 सीपीसी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अपने जवाब एवं बहस के समर्थन में वकील अप्रार्थीगण (वादियागण) ने निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये :—

1. 2017(2)MLN 173
2. RLW 2011(4) 3420 Raj.
3. RLW 2011(3) 2690 Raj.
4. RLW 2012 (4) 3371 SC
5. DNJ 2015 1088 SC
6. RLW 2011 (3) 2699 SC

विधि के बिन्दु पर आदेश 7 नियम 11 निम्नानुसार है जिसके अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगा :—

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है,
2. जहां दावाकृति अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प—पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प—पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
4. जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,
5. जहां वह डुप्लीकेट फाईल नही किया गया है,
6. जहां वादी नियम 9 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (ए) (डी) व धारा 151 सीपीसी एवं वाद पत्र का अवलोकन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता की बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में प्रार्थी की मुख्य आपति वादियागणव प्रतिवादी संख्या 4 को वाद व काउन्टर क्लेम पेश करने में वादकारण पैदा नहीं होना तथा वाद विधि द्वारा वर्जित होना है।

47

वादकारण के संदर्भ में वाद पत्र के तथ्यों को पढ़ना होता है। वादियागण ने अपने वादपत्र के मद संख्या 6 में वादकारण का उल्लेख तो किया है परन्तु उक्त वादकारण माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश चिड़ावा के निर्णय दिनांक 24.10.2024 के संदर्भ में देखा जाये तो क्या उक्त वादकारण पैदा होने के लिये इसके समर्थन में वादियागण के पास कोई सबूत दस्तावेजात है। प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 7) ने अपने मौजुदा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (ए)(डी) व धारा 151 सीपीसी में वादियागण को मौजुदा वाद पत्र में वादकारण पैदा नहीं होने के अपने तथ्य के संबंध में माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश चिड़ावा जिला झुन्झुनूं द्वारा दावा उनवानी भगवती देवी बनाम रामपती वगैरह मु0न0 45/2016 (07/2016) का उल्लेख किया है तथा माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय के संदर्भ में वादियागण तथा प्रतिवादिया संख्या 4 का वाद व काउन्टर क्लेम हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत विधि द्वारा वर्जित होने का कथन किया गया है। माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश चिड़ावा ने अपने उक्त वाद में विवाद्यक संख्या 7 विरचीत की है जो निम्न प्रकार है :–

> "आया वादियागण पर मिताक्षरा विधि लागु होती है और वादियागण सन 1978 में सहदायिकी में नही होने से विवादित भूमि में कोई हक अधिकार उत्पन्न नही होते है ?"

उक्त विवाद्यक को विनिश्चत करने में माननीय न्यायालय ने हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 6 व धारा 6 की उपधारा 5 को स्पष्ट करते हुये इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम न्यायिक दृष्टांत विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा AIR 2020 SC 3717 के प्रकाश में उक्त विवाद्यक को वादियागण के विरूद्व तय करते हुये वादियागण को भाना व बजरंगलाल की सहदायिकी होना नहीं माना है। चूंकि सिविल न्यायालय ने अपने उक्त वाद में बाद साक्ष्य विवाद्यक विनिश्चत करते हुये वादियागण को भाना व बजरंगलाल की सहदायिकी होना नहीं माना है इसलिये वादियागण को भाना व बजरंगलाल की सम्पति में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये जाने हेतु मौजुदा वाद में वादकारण पैदा होना नहीं माना जा सकता हैना ही वादियागण व प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने दावा व प्रतिदावा के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है जिससे वादियागण व प्रतिवादी संख्या 4 को भाना व बजरंगलाल की सहदायिकी होना माना जावे।

जहां तक प्रश्न वाद का विधि द्वारा वर्जित होने का है,वादियागण के मौजुदा वाद पर हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रावधान लागु होते है और माननीय सिविल न्यायालय ने अपने उक्त वाद में विरचित उक्त विवाद्यक को विनिश्चत करने में हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 6 व धारा 6 की उपधारा 5 को स्पष्ट करते हुये वादियागण को हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत सहदायिकी होना नहीं माना है इसलिये माननीय सिविल न्यायालय के उक्त निर्णय के प्रकाश में वादियागण का मौजुदा वाद हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 से भी वर्जित है।

वादियागण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के जवाब में मौजुदा वाद में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से पूर्व में दिनांक 07.12.2014 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश किया जाना तथा आदेश 7 नियम 11 का उक्त प्रार्थना पत्र निर्णित होने से आदेश 7 नियम 11 का मौजुदा प्रार्थना पत्र Res judicata की श्रेणी में होने का कथन किया गया है। इस संबंध में पत्रावली में सलंग्न उक्त प्रार्थना पत्र तथा प्रार्थना पत्र के आदेश का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने वादियागण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने का कथन किया गया है परन्तु किस विधि से वाद वर्जित है इसका उल्लेख नहीं है। इसलिये तत्समय प्रार्थना पत्र के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के

९१

आधार पर प्रार्थना पत्र निर्णित किया गया था। मौजुदा प्रार्थना पत्र की परिस्थितियां भिन्न है। मौजुदा प्रार्थना पत्र का आधार सिविल न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में वादियागण को हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत सहदायिकी होना नहीं माना है। इसलिये पूर्व में निर्णित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व मौजुदा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (ए)(डी) व धारा 151 सीपीसी को Res judicata की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है।

प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (ए)(डी) व धारा 151 सीपीसी में अंकित तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है। अप्रार्थीगण (वादियागण) द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र एवं बहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के समर्थन में ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है जो प्रार्थना पत्र के तथ्यों को साबित कर सके। वादियागण ने अपने वादपत्र में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपने अधिकारों की घोषणा का दावा पेश किया है परन्तु जमीन जैर बहस के खातेदार भाना अथवा बजरंगलाल की पौत्री अथवा पुत्री होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। इस प्रकार वादियागण अपने वाद पत्र की प्लीडिंग को साबित करने में असफल रहे है। प्रतिवादिया संख्या 4 की ओर से भी अपने आप को भाना व बजरंगलाल की पुत्री बताकर प्रतिदावा पेश किया है परन्तु अपने प्रतिदावा के तथ्यों के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया है ना ही प्रतिवादी संख्या 7 के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के जरिये खण्डन किया गया है। जो प्रथमदृष्टया यह जाहिर करता है कि प्रतिवादिया संख्या 4 अपने प्रतिदावा को आगे नहीं चलाना चाहती है। वादियागण की ओर से पेश न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रश्नगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा नहीं होते है।

इस प्रकार समस्त तथ्यों, दौराने बहस पेश की गई दलीलों के मध्यनजर प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 7) द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (ए)(डी) व धारा 151 सीपीसी प्रश्नगत प्रकरण पर लागु होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (ए)(डी) व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। वादियागण तथा प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से प्रस्तुत दावा व प्रतिदावा हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत विधि द्वारा वर्जित होने एवं वादकारण के अभाव में खारिज किया जाता है। वादियागण की ओर से जमीन जैर बहस को पैतृक भूमि बताकर पैतृक भूमि में अपने अधिकारों की घोषणा का दावा किया गया है और पैतृक भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकारी होने पर ही संभव है इसलिये वादियागण सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी के बिन्दु को निर्णित करवाते है तो पुनः वाद पेश करने के लिये स्वतंत्र होंगें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/6/25
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर